MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (hereinafter referred to as "the MoU")

Between

THE REPUBLIC OF MALAWI (hereinafter referred to as "ROM")

And

THE REPUBLIC OF INDIA (hereinafter referred to as "ROI")

ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF ARTS AND CULTURE

موسيح

PREAMBLE

WHEREAS the ROM and the ROI (hereinafter together referred to as "the Parties" and individually as "the Party") have been encouraged by the existing common will to consolidate and further strengthen their existing friendly relations.

INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations, and

DESIRING to strengthen the friendly links between the Parties so as to deepen cultural relations between them.

NOW THEREFORE, the Parties have reached the following understanding:

Article 1

Objective

The objective of this MoU is to create and set out an agreed general framework for the promotion, development and exchange of programs on arts and culture.

Article 2

Duration

- (a) The duration of this MoU shall be for a period of five years running from 2024 to 2029 and will come into effect from the date of signing.
- (b) The parties may extend the validity of this MoU for a further five-year period upon agreement

Article 3

Designated Representatives

ROM designates its Minister responsible for arts and culture to perform all necessary acts to give effect to the objective of this MoU, and ROI designates its Minister responsible for arts and culture to perform all necessary acts to give effect to the objective of this MoU.

Article 4

Specific Implementing Agreements

In order to give effect to the objective of this MoU, the Parties will further facilitate the conclusion of specific implementing agreements between operators, associations, organizations and institutions in the field of arts and culture.

معرسي

Article 5

Music and Dance

The Parties will exchange music and dance ensembles and/or individual performing artists including classical and folk troupes. Dates and other details of such exchange will be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 6

Theatre

- a. Both Parties shall encourage and facilitate exchange of theatre performances in both countries and to participate in local and international theatre festivals on mutually agreed terms as agreed upon by the parties through diplomatic channels.
- b. Both Parties will exchange theatre journals and publications on a reciprocal basis between the two countries on mutually agreed terms as agreed upon by the parties through diplomatic channels.

Article 7

Visual Arts

The Parties will exchange contemporary and modern art exhibitions between the two countries on reciprocal basis on mutually agreed terms as agreed upon by the parties through diplomatic channels.

Article 8

Seminars, Conferences, Residences

Both Parties will invite experts from the other side to participate in international seminars, symposiums, conferences, camps, residencies etc on arts and culture as agreed upon by the parties through diplomatic channels.

Article 9

Archaeology

- (a) Both Parties will support cooperation in the field of protection, conservation and promotion of the cultural heritage of both countries.
- (b) The Parties will exchange experts on reciprocal basis in the field of protection and conservation of ancient monuments and archaeological sites,

Server

REB

art objects and development of archaeological sites museums, details of which shall be mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 10

Archives

- (a) The Parties will promote exchange of information and documentation concerning the history of Malawi in the archives of India and the history of India in the archives of Malawi, as well as copies of documents (digital copies) of interest to both Parties in order to replenish in respective collections. Modalities will be worked out through mutual consultations as agreed upon by the Parties through diplomatic channels.
- (b) Both Parties will exchange experts in the field of Records Management, Archives Administration and Conservation of Records, digitization and digital preservation of records on reciprocal basis and as mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.
- (c) The National Archives of India will provide professional training facilities to officials and students of Malawi in the courses run by the School of Archival Studies. Similarly, the National Records and Archives Services of Malawi will provide professional training courses to officials and students of National Archives of India.

Article 11

Library

Both Parties will exchange, publications and audio-visual documentaries other promotional materials on arts and culture on reciprocal basis as mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 12

Museums

- a. The National Museums on both sides will exchange exhibitions, museum exhibits and museum personnel. Exhibitions may also be organized jointly by the respective museums. Details shall be finalized mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels.
- b. Exchange of the museum's personals/experts including Curators, Deputy Curators, Research Officer, Assistant Curators, and Conservators on reciprocal basis and as mutually agreed upon by the Parties through diplomatic channels. to share the knowledge and expertise in respective fields. Exchange of technical and educational publications on museums.

June 1

c. Both Parties will exchange of technical and educational publications on museums in accordance with relevant rules and as mutually agreed by the Parties through diplomatic channels

Article 13

Literature

- a. Both Parties will exchange delegations for writers and publishers on reciprocal basis. Details of such visits shall be mutually decided by the Parties through diplomatic channels.
- b. Both Parties will promote the translation and exchange of literary works of famous writers and poets in both countries as mutually decided by the Parties through diplomatic channels.

Article 14

Research and Documentation

Both Parties will facilitate:

- a. Study of the artistic heritage, folklore/folk traditions and narrative forms.
- b. Devising creative activities for cognitive and skill development of the students.
- c. Exploring possibilities of developing educational activities on arts and culture at cultural centres, academies, museums, arts centers and educational institutions for children.
- d. Development of audio-visual and printed educational materials for students and teachers to have better understanding of tangible and intangible heritage and the arts of both parties.
- e. Documentation of the arts, museum objects and production of cultural resources of both Parties as mutually decided by the parties through diplomatic channels.

Article 15

Science Museums/Centres

- a. Both Parties will exchange one senior level Science Communication professional to study science centres/museums & non-formal science education programmes in India and in Malawi.
- b. Both Parties will exchange visits of professionals, on reciprocal basis, to study at National Council or equivalent organizations for identifying and strengthening collaborative avenues for development of interactive science centres & non-formal science learning centres, etc.



REB

c. The duration of the visit and other details will be determined as mutually decided by the Parties through diplomatic channels.

Article 16

Anthropology

Both Parties shall exchange visits of experts in anthropology of different institutes of both countries.

Article 17

Arts and Cultural Festivals

The Parties will conduct festivals in each other's country, which shall include the exchange of country tours of performing arts groups of multiple participants from each side. The details of these tours and other activities included shall be developed on the basis of reciprocity as mutually decided by the Parties and through diplomatic channels.

Article 18

Strengthening Institutional Capacities in the Arts, Creative Industries and Heritage

- a. The Parties will collaborate through exchange of expertise and best practices, study visits and joint symposia in the area of strengthening institutional capacities for the arts, creative industries and heritage.
- The duration of such exchange programs and other details will be determined as mutually agreed by the Parties through diplomatic channels.

Article 19

General and Financial Provisions

A. Exchange of individuals, delegations, exhibition:

Every Party shall send to the other Party the biodata (including languages spoken and proposed itinerary) at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation or individuals selected under this MoU, and biodata of performing groups at an exhibition at least three months in advance. The receiving Party shall inform the other side about agreeing to host the delegation and exhibition or postponing the date at least one month in advance.

Jeros

RCB

B. Exchange of exhibition:

Separate agreement will be reached between the promoting Party and the receiving Party with regard to exhibition. The sending side shall inform the receiving country about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent at least three months before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination 07 days before the opening of the exhibition.

C. Exchange of materials:

Each contracting Party will have the right to use the materials exchanged in the fields of information, mass media in its own programmes and such materials should not be given by the receiving side to a third party.

D. Finances:

When visiting each other's countries, the sending Party shall provide international travel expenses for representatives of groups, delegations or performing groups, while the receiving Party shall provide boarding, food and internal travel expenses, as well as emergency expenses. This provision shall apply for delegations of no more than five members and for exchange visits lasting no more than six days.

E. Extended Exchange Visits

For exchange visits that will take more than six days and have more than five members of delegation, the parties shall negotiate through diplomatic channels and mutually agree on flexible terms for expenses covering, lodging and boarding, internal travel expenses and free medical care in case of sudden illness.

Article 20

- (a) Any dispute between the Parties arising out of the interpretation, application or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiations between the Parties.
- (b) The provisions of this MoU shall not preclude the Parties from agreeing through the diplomatic channel, on other arrangements which they may deem desirable.
- (c) The present MoU is not an international treaty and does not create obligations under international law.



Rep

Article 21

Review and Amendment

This MoU can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels. Such revisions or amendments shall enter into force on such date as may be determined by the parties.

Article 22

Termination

Either Party may terminate this MoU by giving written notice to the other Party six months in advance. The termination of this MoU shall not prejudice the completion of any on-going programmes and projects under this MoU unless the Parties decide otherwise.

Signed at <u>Lilongwe</u> on <u>18th October, 2024</u> in two originals each in Hindi, and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF MALAWI

Name: Mr. Richard Chimwendo

Banda, M.P.

Designation: Minister of Local Government, Unity and Culture Name: H.E. S. Gopalakrishnan Designation: High Commissioner

of India

मलावी गणराज्य (इसके पश्चात "आरओएम" के रूप में उल्लिखित)

और

भारत गणराज्य

(इसके पश्चात "आरओआई" के रूप में उल्लिखित)

के बीच

कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में

समझौता ज्ञापन

(इसके पश्चात "एमओयू" के रूप में उल्लिखित)



प्रस्तावना

जबिक आरओएम और आरओआई (इसके पश्चात संयुक्त रूप से "दोनों पक्षकार" और एकल रूप से "पक्षकार" के रूप में उल्लिखित) को वर्तमान समान आकांक्षा से प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करें और आगे बढ़ाएं।

घनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने और विकसित करने की साझा इच्छा से प्रेरित होकर, तथा दोनों पक्षकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की इच्छा से, ताकि उनके बीच सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ हो सकें।

अतः अब दोनों पक्षकारों के बीच निम्नानुसार सहमति हुई हैं:

अनुच्छेद 1

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कला और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार, विकास और आदान-प्रदान के लिए एक स्वीकृत सामान्य रूपरेखा तैयार करना और उसका निर्धारण करना है।

अनुच्छेद 2

अवधि

- (क) इस समझौता ज्ञापन की अवधि 2024 से 2029 तक पांच वर्ष के लिए होगी तथा यह हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगी।
- (ख) दोनों पक्षकार सहमति के आधार पर इस समझौता ज्ञापन की वैधता को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।

अनुच्छेद 3

नामित प्रतिनिधि

मलावी गणराज्य कला एवं संस्कृति के लिए उत्तरदायी अपने मंत्री को नामित करता है ताकि इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्यकलाप निष्पादित किए जा सकें, तथा भारत गणराज्य कला एवं संस्कृति के लिए उत्तरदायी अपने मंत्री को नामित करता है ताकि इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्यकलाप निष्पादित किए जा सकें।

अनुच्छेद 4

विशिष्ट कार्यान्वयन करार

इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए, दोनों पक्षकार कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े ऑपरेटरों, संघों, संगठनों और संस्थाओं के बीच विशिष्ट कार्यान्वयन करार सम्पन्न करना और सुविधाजनक बनाएंगे।

bers

अनुच्छेद 5

संगीत एवं नृत्य

दोनों पक्षकार संगीत एवं नृत्य समूहों और/ अथवा वैयक्तिक प्रदर्शनकारी कलाकारों का आदान-प्रदान करेंगे जिसमें शास्त्रीय एवं लोक मंडलियाँ शामिल होंगी। ऐसे आदान-प्रदान की तारीखें और अन्य विवरण दोनों पक्षकारों द्वारा राजनियक माध्यमों से पारस्परिक सहमित के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 6

रंगमंच

क. दोनों पक्षकारों के बीच राजनियक माध्यमों से हुई सहमित के आधार पर, दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से स्वीकृत शर्तों पर दोनों देशों में रंगमंच प्रदर्शनों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें सुविधाजनक बनाएंगे तथा स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच समारोहों में भाग लेंगे।

ख. दोनों पक्षकारों के बीच राजनियक माध्यमों से हुई सहमित के आधार पर, दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से स्वीकृत शर्तों पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक आधार पर रंगमंच पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद ७

दृश्य कला

दोनों पक्षकारों के बीच राजनियक माध्यमों से हुई सहमित के आधार पर, दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से स्वीकृत शर्तों पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक आधार पर समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 8

सेमिनार, सम्मेलन, निवास

दोनों पक्षकारों के बीच राजनियक माध्यमों से हुई सहमित के आधार पर, दोनों पक्षकार कला और संस्कृति से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, निवासों आदि में भाग लेने के लिए दूसरे पक्षकार के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद 9

पुरातत्व

(क) दोनों पक्षकार दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग हेतु सहायता प्रदान करेंगे।

War.

(ख) दोनों पक्षकार प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, कला वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण तथा पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों के विकास के क्षेत्र में पारस्परिक आधार पर विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे, जिसके विवरण के संबंध में दोनों पक्षकारों के बीच राजनियक माध्यमों से पारस्परिक सहमित बनाई जाएगी।

अनुच्छेद 10

अभिलेखागार

क. दोनों पक्षकार भारत के अभिलेखागारों में मलावी के इतिहास और मलावी के अभिलेखागारों में भारत के इतिहास से संबंधित सूचना और प्रलेखन, तथा दोनों पक्षकारों की अभिरुचि के दस्तावेज़ों की प्रतियों (डिजिटल प्रतियाँ) के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे ताकि संबंधित संग्रहों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। राजनियक माध्यमों से दोनों पक्षकारों के बीच बनी पारस्परिक सहमित के अनुसार, आपसी परामर्श से तौर-तरीके निर्धारित किए जाएंगे।

ख. दोनों पक्षकार अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेख संरक्षण, अभिलेखों के डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण के क्षेत्र में पारस्परिक आधार पर और राजनियक माध्यमों से दोनों पक्षकारों के बीच बनी पारस्परिक सहमित के अनुसार विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

ग. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में मलावी के अधिकारियों और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। इसी प्रकार, मलावी की राष्ट्रीय अभिलेख और अभिलेखागार सेवाएं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेंगी।

<u>अनुच्छेद 11</u>

पुस्तकालय

दोनों पक्षकार राजनियक माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत होकर कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रकाशन, दृश्य-श्रव्य वृत्तचित्र और अन्य प्रचार सामग्री का पारस्परिक आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 12

संग्रहालय

क. दोनों पक्षकारों के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शनों और संग्रहालय कर्मियों का आदान-प्रदान करेंगे। संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जा सकता है। राजनियक माध्यम से पक्षकारों द्वारा आपसी सहमित से विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ख. दोनों पक्षकारों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए पारस्परिक आधार पर और राजनियक माध्यम से आपसी सहमित के अनुसार संग्रहालय के किमेंयों/विशेषज्ञों, जिसमें क्यूरेटर, डिप्टी क्यूरेटर, शोध अधिकारी, सहायक क्यूरेटर और संरक्षक शामिल हैं, का आदान-प्रदान, संग्रहालयों पर तकनीकी एवं शैक्षिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

موس

ness

ग. दोनों पक्षकार प्रासंगिक नियमों के अनुसार और राजनियक माध्यम से दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति के अनुसार संग्रहालयों पर तकनीकी एवं शैक्षिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 13

साहित्य

क. दोनों पक्षकार पारस्परिक आधार पर लेखकों और प्रकाशकों के प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसी यात्राओं का विवरण राजनियक माध्यम से पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा।

ख. दोनों पक्षकार राजनियक माध्यम से पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए दोनों देशों के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद और आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

<u>अनुच्छेद 14</u>

अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण

दोनों पक्षकार निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे:

- क. कलात्मक विरासत, लोकगीत/लोक परंपराओं और कथात्मक रूपों का अध्ययन।
- ख. छात्रों के संज्ञानात्मक और कौशल विकास के लिए रचनात्मक क्रियाकलापों की योजना बनाना।
- ग. सांस्कृतिक केंद्रों, अकादिमयों, संग्रहालयों, कला केंद्रों और बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों में कला एवं संस्कृति पर शैक्षिक क्रियाकलाप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना।
- घ. छात्रों और शिक्षकों के लिए दोनों पक्षकारों की मूर्त और अमूर्त विरासत एवं कलाओं की बेहतर समझ के लिए दृश्य-श्रव्य और मुद्रित शैक्षिक सामग्री का विकास।
- ङ. राजनियक माध्यम से दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए कला, संग्रहालय की वस्तुओं एवं सांस्कृतिक संसाधनों के उत्पादन का दस्तावेजीकरण।

अनुच्छेद 15

विज्ञान संग्रहालय/केंद्र

- क. दोनों पक्षकार भारत और मलावी में विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों और अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए एक विश्व स्तर के विज्ञान संचार पेशेवरों को एक-दूसरे के देश भेजेंगे।
- ख. दोनों पक्षकार, इंटरैक्टिव विज्ञान केंद्रों और अनौपचारिक विज्ञान शिक्षण केंद्रों आदि के विकास के लिए सहयोगी अवसरों की पहचान करने और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए पारस्परिक आधार पर,

bure /

RUB

राष्ट्रीय परिषद या समकक्ष संगठनों में अध्ययन करने के लिए पेशेवरों की यात्राओं का आदान-प्रदान करेंगे।

ग. यात्रा की अवधि और अन्य विवरण राजनयिक माध्यम से पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 16

मानव विज्ञान

दोनों पक्षकार दोनों देशों के विभिन्न संस्थानों के मानव विज्ञान के विशेषज्ञों की यात्राओं का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 17

कला एवं सांस्कृतिक उत्सव

दोनों पक्षकार एक दूसरे के देश में उत्सव आयोजित करेंगे, जिसमें प्रत्येक पक्षकार की ओर से विभिन्न प्रतिभागियों के प्रदर्शन कला समूहों के एक दूसरे के देश का भ्रमण शामिल होगा। इन यात्राओं और शामिल अन्य क्रियाकलापों का विवरण दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए आधार पर और राजनियक माध्यम से विकसित किया जाएगा।

<u>अनुच्छेद 18</u>

कला, रचनात्मक उद्योग और विरासत में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना

क. दोनों पक्षकार कला, रचनात्मक उद्योग और विरासत के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के क्षेत्र में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम परिपाटी, अध्ययन यात्राओं और संयुक्त संगोष्ठियों के आदान-प्रदान के माध्यम से सहयोग करेंगे।

ख. ऐसे विनिमय कार्यक्रमों की अवधि एवं अन्य विवरण राजनियक माध्यम से पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमत रूप से निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 19

सामान्य एवं वित्तीय प्रावधान

क. व्यक्तियों, प्रतिनिधिमंडलों, प्रदर्शनी का आदान-प्रदान:

प्रत्येक पक्षकार इस समझौता ज्ञापन के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल या व्यक्तियों की यात्रा की अपेक्षित तिथि से कम से कम दो महीने पहले उनके बायोडेटा (बोली जाने वाली भाषाओं और प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सिहत) दूसरे पक्षकार को भेजेगा, तथा किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले समूहों का बायोडेटा कम से कम तीन महीने पहले भेजेगा। प्राप्तकर्ता पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रतिनिधिमंडल एवं प्रदर्शनी की मेजबानी करने की सहमित या तिथि स्थिगत करने के बारे में कम से कम एक महीने पहले सूचित करेगा।

كوميها

ख. एक दूसरे के देश में प्रदर्शनियों का आयोजनः

प्रदर्शनी के संबंध में प्रचारकर्ता पक्षकार और प्राप्तकर्ता पक्षकार के बीच अलग-अलग करार किए जाएंगे। प्रेषक पक्षकार प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में प्राप्तकर्ता देश को सूचित करेगा। संबंधित कैटलॉग में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक जानकारी उद्घाटन की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले भेजी जानी चाहिए। कला प्रदर्शनियों में कलाकृतियां प्रदर्शनी के उद्घाटन से 07 दिन पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जानी चाहिए।

ग. सामग्रियों का आदान-प्रदान:

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को सूचना, जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों का अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए।

घ. वित्तः

एक-दूसरे के देशों की यात्रा करते समय, प्रेषक पक्षकार समूहों, प्रतिनिधिमंडलों या प्रदर्शन करने वाली मंडिलयों के प्रतिनिधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा, जबिक प्राप्तकर्ता पक्षकार आवास, भोजन और आंतरिक यात्रा व्यय के साथ-साथ आपातकालीन व्यय भी प्रदान करेगा। यह प्रावधान पांच सदस्यों तक के प्रतिनिधिमंडलों और छह दिनों से अधिक नहीं चलने वाली विनिमय यात्राओं के लिए लागू होगा।

ड. विस्तारित आदान-प्रदान यात्राएँ

ऐसी आदान-प्रदान यात्राओं के लिए जिनमें छह दिन से अधिक समय लगेगा और जिनमें प्रतिनिधिमंडल में पाँच से अधिक सदस्य होंगे, दोनों पक्षकार राजनयिक माध्यमों से वार्ता करेंगे और खर्चों, आवास एवं भोजन, आंतरिक यात्रा व्यय और आपातकालिक बीमारी की स्थिति में निःशुल्क चिकित्सा देखभाल के लिए परिवर्तनीय शर्तों पर परस्पर सहमत होंगे।

अनुच्छेद 20

- (क) इस समझौता ज्ञापन के निर्वचन, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को दोनों पक्षकारों के बीच आपसी परामर्श या वार्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।
- (ख) इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान पक्षकारों को राजनियक चैनल के माध्यम से उन व्यवस्थाओं के संबंध में जिन्हें वे वांछनीय समझते हैं, पर सहमत होने से नहीं रोकेंगे ।
- (ग) वर्तमान समझौता ज्ञापन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी नहीं है।

<u>अनुच्छेद 21</u>

समीक्षा और संशोधन

इस समझौता ज्ञापन की, पक्षकारों के बीच राजनियक चैनलों से आपसी लिखित सहमित से, किसी भी समय समीक्षा की जा सकती है या इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसे पुनरीक्षण या संशोधन पक्षकारों द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे।



REE

अनुच्छेद 22

समाप्ति

कोई भी पक्षकार, दूसरे पक्षकार को छह माह पूर्व लिखित नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है। इस समझौता ज्ञापन के समापन से इसके अंतर्गत चल रहे मौजूदा कार्यक्रम और परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि पक्षकार अन्यथा निर्णय न लें।

लिलोंग्वे में 2024 के अक्टूबर माह के 18 वें दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। निर्वचन में किसी भी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

मलावी गणराज्य की सरकार के लिए

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

नाम : श्री रिचर्ड चिमवेंडो बांडा, एम.पी. पदनाम : स्थानीय सरकार, एकता एवं

संस्कृति मंत्री

नाम: महामहिम एस. गोपालकृष्णन पदनाम: भारत के उच्चायुक्त